न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-90/2011

जोधाराम पुत्र चूनाराम (मृत)

1/1- संज्या देवी
1/2- मोहनी देवी
1/3- धापू देवी
1/4- सजना देवी

पुत्रिया स्व0 जोधाराम जाति जाट निवासीगण ढाल्यावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- कानाराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी ग्राम व ढाल्यावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

2- सागर पुत्र जोधाराम
3- बाबुलाल पुत्र जोधाराम
4- लालू पुत्र सागर
5- मुकेश पुत्र बाबूलाल

जाति जाट निवासीगण ग्राम ढाल्यावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29-7-2011 द्वारा सहायक कलेक्टर खण्डेला ।

--0--

उपस्थिति-

1-श्री सांवरमल एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री सागरमल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 23.11.2017

Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 11 रकबा 1.77 हैक्टा,खसरा नं0 12 रकबा 1.20 हैक्टर, ख0नं0 13 रकबा 1.11 हैक्टर, ख0नं0 26 रकबा 1.24 हैक्टर, ख0नं0 27 रकबा 1.84 हैक्टर, ख0नं0 28 रकबा 0.69 हैक्टर, ख0नं0 40 रकबा 0.39 हैक्टर, ख0नं0 कुल किता-7 रकबा 8.24 हैक्टर ग्राम बस्सी में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा है । जिस पर वह काबिज काश्तकार है ।उक्त आराजी की खातेदारी प्राथी व अप्रार्थी सं0-1, 6 से 9 की सम्मिलीत रूप से दर्ज है जो आपस में सगे भाई है ।चूनाराम के 5 पत्र हुये जिसमें भेआराम, सुण्डाराम, जोधाराम, कानाराम व भगवानाराम हुये। उक्त आराजी अविभाजित है। किन्तु अप्रार्थी सं0-1 व इसके पुत्रगण अप्रार्थी सं0-2 से 5 बाला बाला बिना विधिक बंटवारा कराये भूमि के विशिष्ट भाग पर निर्माण करने एवं कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तीत करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल कर महरूम करने की धमकीया दे रहें है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है । कृषि भूमि पर बिना संपरिवर्तन कराये निर्माण कार्य करने का कोई हक व0 अधिकार नहीं है । पक्षकारों ने विवादित आराजियों के अलावा भी अन्य भूमियों का आपस में बंटवारा कर अलग अलग काबिज है । विवादित आराजी का बिना बंटवारा कराये आराजी के विशेष भू-भाग पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया जाने के लिये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे ।बिना बंटवारा कराये यदि किसी विशेष भू-भाग पर निर्माण किया जाता है तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी ।बिना बंटवारा के प्रार्थी अपने हक हिस्से की आराजी का विकास भी नहीं कर पा रहा है ।अत: बंटवारा नहीं किया जावे तब तक आराजी के किसी भी भू-भाग पर कोई निर्माण न करें तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से से बेदखल भी नहीं किया जावे । प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दजी नहीं करें । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई उभयपक्षों को तादौराने वाद ख0नं0 26 व 28 की मौका एवं राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखे जाने एवं कृषि से अकृषि में परिवर्तीत नहीं करने के लिये पाबन्द किया । इस आदेश से क्षुब्ध

अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के कारण एवं आधार दर्ज नहीं किये हैं । अदालत मातहत ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दूओं पर कोई विवेचन न कर आदेश पारित किया है जबकि कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने अथवा नहीं करने से पूर्व इसके महत्वपूर्ण तीनों बिन्दूओं पर विवेचन कर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने इन बिन्दूओं पर कोई विवेचन न कर आदेश पारित किया है । पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं अभिभवचनों पर कोई विवेचन न कर अपना निर्णय दिया है ।अदालत मातहत के आदेश से अपीलान्ट अपने हिस्से की भूमि की काश्त करने से वंचित हो गया है । इस तथ्य पर बिना गौर किये आदेश पारित किया है । अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी के बाबत पहले से ही बंटवारा का दावा पेश कर रखा है जिसमें विवादित भूमियों को काफी वर्षों पहले ही बंटवारा किया जाना अभिकथित कर रखा है । इस बिन्दू पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को ख0नं0 26 व 28 से ताकत के बल पर बेदखल करने पर आमादा है । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर भी कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2064 से 2067 में आराजी ख0नं0 11, 12, 13, 26, 27, 28 व 40 कुल किता-7 रकबा 8.24 हैक्टर की खातेदारी भेभाराम, सुण्डाराम, जोधाराम सुवालाल भगवानाराम पि0 चुनाराम के नाम दर्ज है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है ।आराजी का विधिवत बंटवारा होना पत्रावली पर साबित नहीं है । बिना विधिक बंटवारा आराजी के किसी भू-भाग पर निमार्ण कर कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील किया जाता है तो इससे प्रार्थी को असीम क्षति होगी । प्रार्थी सहखातेदार काश्तकार होने से प्राथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है । विद्वान वकील अपीलान्ट ने नजीर आरआरटी 2010(1) पेज 149 पेश की है किन्तु इसके तथ्य प्रकरण से भिन्न है । अदालत मातहत ने खसरा नं0 26 व 28 की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति दौराने वाद उभयपक्षों को बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर खण्डेला का निर्णय दिनांक 29-7-2011 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.11.2017 को सुनाया गया ।

23/11/17

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर